

मध्यावधिक राजकोषीय नीति विवरण

क. राजकोषीय संकेतक - सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) के प्रतिशत के रूप में आवर्ती लक्ष्य

	संशोधित अनुमान 2016-17	बजट अनुमान 2017-18	(मौजूदा बाजार मूल्यों पर) के लिए लक्ष्य	
			2018-19	2019-20
1. राजकोषीय घाटा	3.5	3.2	3.0	3.0
2. राजस्व घाटा	2.1	1.9	1.6	1.4
3. प्रभावी राजस्व घाटा	0.9	0.7	0.4	0.2
4. वर्ष के अंत में कुल कुल बकाया देनदारियां	46.7	44.7	42.8	40.9
5. सकल-कर राजस्व	11.3	11.3	11.6	11.9

टिप्पणी :—

1. "स.घ.उ." से आशय 2011-12 से नई श्रृंखला के अनुसार मौजूदा बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद से है।
2. "कुल बकाया देनदारियों" में वर्तमान विनिमय दरों पर विदेशी सरकारी ऋण शामिल है। अनुमानों के लिए एक जैसी विनिमय दरें परिकल्पित की गई हैं। केंद्र सरकार की देनदारियों में एनएसएसएफ का भाग तथा कुल एमएसएस देनदारियां, जो कि केंद्रीय सरकारी घाटे के वित्तपोषण के लिए उपयोग में नहीं लाई जाती हैं, शामिल नहीं है।

1. संशोधित अनुमान, 2016-17, बजट अनुमान 2017-18 में मुख्य राजकोषीय संकेतकों का निष्पादन तथा अगले दो वित्त वर्षों के संबंध में आवर्ती लक्ष्यों को उपर्युक्त सारणी में प्रस्तुत किया गया है।

2. घाटा संकेतकों के संबंध में, उल्लेख है कि सरकार की राजकोषीय नीति क्रमिक समायोजन के सिद्धांत द्वारा निर्देशित रही है। आगामी वर्ष के दौरान राजस्व घाटे के संबंध में निष्पादन तथा आवर्ती लक्ष्य राजकोषीय समेकन के संबंध में वर्ष 2015 में संशोधित किए गए भावी योजनाओं के अनुरूप निर्धारित किए गए हैं तथा मध्यावधिक समय के दौरान इसमें उल्लेखनीय सुधार होने की आशा है। संशोधित एफआरबीएम अधिनियम के अनुसार वर्ष 2017-18 तक प्राप्त किए जाने वाले स.घ.उ. के 3 प्रतिशत राजकोषीय घाटा लक्ष्य को 2018-19 तक प्राप्त किया जाना है। सरकार ने उच्च सरकारी व्यय की बृहत आर्थिक अपेक्षाओं का पुनर्मूल्यांकन करने के आधार पर 2017-18 में स.घ.उ. के 0.3 प्रतिशत की क्रमिक कटौती तथा 2017-18 में स.घ.उ. के 3.2 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करने के पक्ष में अपना मत व्यक्त किया है। एफआरबीएम अधिनियम के अंतर्गत जारी किए गए अधिदेश के अनुसार राजस्व घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए वर्ष 2017-18 तक ईआरडी को समाप्त करने का लक्ष्य केंद्र के राजस्व व्यय घटक में संरचनात्मक समस्याओं के कारण प्राप्त नहीं किया जा रहा है तथा मध्यावधिक समय के दौरान ऐसा कर पाना संभव नहीं हो पाएगा।

3. वित्त वर्ष 2016-17 की पहली छमाही में भारत की अर्थव्यवस्था में स.घ.उ. में तीव्र वास्तविक वृद्धि की दर जारी रही। लगभग सामान्य मानसून वर्षा होने तथा वेतन आयोग की सिफारिशों के कारण वेतन तथा पेंशन की राशि में वृद्धि होने से खपत में सकारात्मक वृद्धि के फलस्वरूप पहली छमाही में स.घ.उ. में विकास की दर में तेजी से वृद्धि

हुई। तथापि, घरेलू निवेश तथा विदेशी सेक्टर में प्रदर्शन में गिरावट आने के फलस्वरूप विकास की यह गति आगे तेजी नहीं पकड़ सकी। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा जारी किए गए अग्रिम अनुमानों (अक्तूबर, 2016 तक के आंकड़ों के आधार पर) के अनुसार मौजूदा बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. में 2016-17 के दौरान 11.9 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। तथापि, सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट बैंक नोटों को वापस लेने के निर्णय के बाद वास्तविक विकास की गति की तीव्रता में कमी आने की आशा है। यह नकदी संवेदी क्षेत्रों में आर्थिक क्रियाकलापों पर अल्पावधिक प्रभाव हो सकता है। मौजूदा वित्त वर्ष के शेष महीनों के दौरान विकास की गति में मामूली कमी आने के कारण सरकार ने इसे ध्यान में रखते हुए अनुमानित स.घ.उ. विकास दर को 11 प्रतिशत के बजटीय अनुमान पर बनाए रखने का निर्णय लिया है।

4. इस बात पर बल दिया जाता है कि विमुद्रीकरण का प्रभाव अल्पकालिक होने की आशा है तथा इस प्रभाव के मौजूदा वित्त वर्ष से आगे जाने की संभावना नहीं है। तथापि, मध्यकालिक संदर्भ में विमुद्रीकरण के लाभ इसके कारण विकास की गति पर पड़ने वाले अल्पकालिक प्रभाव को समाप्त कर देंगे, जो एक अधिक दक्ष भुगतान प्रणाली तथा व्यावसायिक क्रियाकलापों में अधिक तेजी आने के फलस्वरूप होगा। स.घ.उ. में वास्तविक विकास की दर में अस्थायी तौर पर कमी आने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था में विश्व की एक सर्वाधिक तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था के रूप में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान बना रहेगा।

5. वर्ष 2016-17 में स.घ.उ. के 3.5 प्रतिशत का राजकोषीय घाटा लक्ष्य प्राप्त करने की आशा है। यह वर्ष के दौरान व्यय आवंटनों में पर्याप्त तेजी (लगातार दूसरे वर्ष) तथा 2016-17 में राजकोषीय समेकन की

गति में तीव्रता आने के बावजूद प्राप्त किया जा सकेगा। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सरकार 2016-17 में ऋणोत्तर पूंजी प्राप्ति के बजटीय अनुमान से लगभग 10,563 करोड़ रुपए कम होने के अनुमान के बावजूद राजकोषीय घाटा लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रही है। समग्र प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर राजस्व की प्राप्ति में तेजी आने के फलस्वरूप अन्य स्रोतों से प्राप्ति में कमी को संतुलित किया जा सका है। सांकेतिक संदर्भों में 2016-17 के बजट में अनुमानित 5,33,904 करोड़ रुपए के राजस्व घाटे के अब संशोधित अनुमान 2016-17 में 5,34,273 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो स.घ.उ. का 3.5 प्रतिशत होगा। यह मामूली अंतर केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा यथासूचित 2016-17 के लिए स.घ.उ. से संबंधित अनंतिम अनुमानों के फलस्वरूप है।

6. बजट अनुमान 2016-17 में राजस्व घाटे के 3,54,015 करोड़ रुपए या स.घ.उ. के 2.3 प्रतिशत पर होने का अनुमान लगाया गया था जिसमें 2016-17 के संशोधित अनुमान में आगे ओर वृद्धि होने की आशा है। संशोधित अनुमान 2016-17 में राजस्व घाटा 3,10,997 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है जो इस वर्ष के संबंध में लगाए गए बजटीय अनुमानों की तुलना में 43,018 करोड़ रुपए कम है। यह स्थिति सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किए जाने के लिए पेंशन तथा वेतन के लिए अपेक्षित अधिक राशि का आवंटन किए जाने के बावजूद है। इस तथ्य को इस वर्ष से संबंधित बजटीय अनुमानों की तुलना में कुल व्यय के पूंजी घटक में 32,823 करोड़ रुपए की वृद्धि होने के संदर्भ में भी देखा जा सकता है। स.घ.उ. के एक अनुपात के रूप में राजस्व घाटा 2016-17 के संशोधित अनुमान में 2.1 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है जबकि 2016-17 के बजट अनुमान में यह 2.3 प्रतिशत था। परिणामस्वरूप प्रभावी राजस्व घाटे के भी 2016-17 में स.घ.उ. के 1.2 प्रतिशत के बजटीय अनुमान की तुलना में घटकर स.घ.उ. के 0.9 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच जाने का अनुमान लगाया गया है।

7. सकल-कर राजस्व बजट अनुमान 2016-17 में स.घ.उ. के 10.8 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया था जो 2015-16 के संशोधित अनुमान की तुलना में 11.7 प्रतिशत की वृद्धि होने के अनुमान पर आधारित था। प्रत्यक्ष कर घटक में 12.6 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान था जबकि अप्रत्यक्ष करों में 2015-16 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 10.8 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया था। तथापि, स.घ.उ. की वास्तविक विकास दर में अत्यधिक तेजी से गिरावट के बावजूद कर राजस्व प्राप्ति के बजटीय अनुमानों की तुलना में काफी आगे निकल जाने की आशा है। 2016-17 के संशोधित अनुमान में अप्रत्यक्ष करों के 8,51,869 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो बजटीय अनुमानों की तुलना में 72,199 करोड़ रुपए अधिक है। प्रत्यक्ष कर संग्रहण की राशि बजटीय स्तर पर 8,47,097 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। संशोधित अनुमान 2016-17 में समग्र कर एवं स.घ.उ. अनुपात 11.3 प्रतिशत होने का अनुमान है जो 2015-16 की तुलना में 17 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

8. ऋणोत्तर पूंजी प्राप्ति में ऋण एवं अग्रिम राशियों (राज्य सरकारों को दी गई) की वसूली तथा विनिवेश प्राप्ति का एक प्रमुख संघटक शामिल है। महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशियों सहित विनिवेश से हुई प्राप्ति के बजट अनुमान 2016-17 में 56,500 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है। बाजार में व्याप्त अस्थिरता तथा महत्वपूर्ण निर्णयों के कारण संशोधित अनुमान घटकर 45,500 करोड़

रुपए हो गया है। संशोधित अनुमान 2016-17 में कुल ऋणोत्तर पूंजी प्राप्ति 56,571 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जिसमें से 11,071 करोड़ रुपए ऋण और अग्रिम की वसूली के कारण है।

9. बजट अनुमान 2016-17 में कर-भिन्न राजस्व प्राप्ति 3,22,921 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया था जो 2015-16 के संशोधित अनुमान की तुलना में 64,345 करोड़ रुपए की वृद्धि को दर्शाता है। अनुमानित वृद्धि का एक बड़ा हिस्सा दूरसंचार क्षेत्र में हुई प्राप्ति से संबंधित था। तथापि, स्पेक्ट्रम की नीलामी से वास्तविक राशि अनुमानित राशि की तुलना में कम प्राप्त हुई। यह कमी मुख्य रूप से इस कारण हुई कि अधिक मूल्य वाले 700 मेगा हर्ट्ज और 900 मेगा हर्ट्ज बैंडों की नीलामी नहीं की जा सकी क्योंकि दूरसंचार प्रचालकों का यह मानना था कि अभी पारिस्थितिकी इन बैंडों के लिए तैयार नहीं है। स्पेक्ट्रम की नीलामी से प्राप्त होने वाली अनुमानित राशि में इस कमी के लाभांश भुगतानों और विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों से प्राप्त होने वाले लाभांश भुगतानों से पूर्ति हो जाने की आशा है। 2016-17 के संशोधित अनुमान में कर-भिन्न राजस्व प्राप्ति 3,34,770 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है जो 2015-16 की वास्तविक प्राप्ति की तुलना में 33.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है तथा इस वर्ष अनुमानित स.घ.उ. का 2.2 प्रतिशत है।

10. बजट अनुमान 2016-17 में कुल व्यय 19,78,060 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है जिसमें पूरक अनुदान मांगों के द्वारा अतिरिक्त आवंटनों के माध्यम से वर्ष के दौरान पर्याप्त वृद्धि हुई है। संशोधित अनुमान 2016-17 में कुल व्यय 20,14,407 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है जो बजट अनुमानों की तुलना में 36,347 करोड़ रुपए की वृद्धि को दर्शाता है। लगातार दूसरे वर्ष सरकार ने बजटीय अनुमानों की तुलना में अपने व्यय आवंटनों में वृद्धि की है तथा साथ-साथ संबंधित वर्ष के लिए राजकोषीय घाटे से संबंधित लक्ष्य को भी प्राप्त किया है। पिछले वर्ष की तुलना में 2016-17 में मध्यवर्षीय अतिरिक्त आवंटन करके व्यय आवंटन में वृद्धि की गई है।

11. मौजूदा वित्त वर्ष के आखिर में व्यय की एक सकारात्मक विशेषता यह है कि राजस्व-पूंजी संतुलन में संशोधन की परिकल्पना की गई थी। संशोधित अनुमानों में सरकार के व्यय में पूंजी घटक 2,79,847 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है जो 2016-17 के बजटीय अनुमानों की तुलना में 32,823 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्शाता है। अतः राजस्व-पूंजी व्यय अनुपात के बजट अनुमान 2016-17 में 88:12 से बढ़कर संशोधित अनुमान 2016-17 में लगभग 86:14 हो जाने की आशा है। इससे संशोधित अनुमान 2016-17 में राजस्व घाटे की स्थिति में सुधार लाने में योगदान मिला है।

12. सरकार ऋणोत्तर प्राप्ति में कमी के बावजूद वर्ष 2016-17 के दौरान राजकोषीय घाटे को बजटीय अनुमानों के भीतर रखने में सफल रही है क्योंकि बजटीय अनुमानों की तुलना में प्राप्त सकल कर राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सकल कर राजस्व प्राप्ति में बजट अनुमान 2016-17 की तुलना में संशोधित अनुमान 2016-17 में लगभग 75,355 करोड़ रुपए की वृद्धि होने का अनुमान है। राजस्व प्राप्ति में विशेष रूप से अप्रत्यक्ष कर पक्ष के उत्पाद कर और सेवा कर में वृद्धि हुई है; तथापि, सीमा शुल्क प्राप्ति के बजटीय अनुमानों की तुलना में कम होने की आशा है। प्रत्यक्ष कर मोर्चे पर निगम कर तथा आय-कर बजटीय स्तर पर बने रहने की आशा है।

13. वर्ष के दौरान बाजार उधारों से संबंधित अनुमानों के बजटीय अनुमानों की तुलना में कम होने की आशा है जो राज्यों के एनएसएसएफ (राष्ट्रीय लघु बचत निधि) पूल से राशि का प्रयोग नहीं करने के कारण नकदी के संचित होने के फलस्वरूप हुआ है। सरकार ने इस वर्ष के दौरान एनएसएसएफ में प्राप्त निवल राशि के कुछ हिस्से को भारतीय खाद्य निगम में निवेश किया है (पुरानी देनदारियों को समाप्त करने के लिए) जिसे सरकार द्वारा एनएसएसएफ को आगामी कुछ वर्षों के दौरान लौटा दिया जाएगा। बावजूद इसके, केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में एनएसएसएफ का निवेश बजटीय अनुमानों की तुलना में अधिक होगा। अतः निवल बाजार उधार बजट अनुमान 2016-17 के 4,25,181 करोड़ रुपए से घटकर संशोधित अनुमान 2016-17 में 4,06,708 करोड़ रुपए हो गया है। समग्रतः, संशोधित अनुमान 2016-17 में सरकार की कुल देनदारियां स.घ.उ. का 46.7 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है जबकि बजट अनुमान 2016-17 में यह राशि 47.1 प्रतिशत होने का अनुमान था।

2017-18 के बजट में राजकोषीय संभावनाएं

14. सरकार की राजकोषीय नीति घाटे में उत्तरोत्तर कमी करने के सिद्धांत द्वारा निर्देशित रही है। सरकार एक सुदृढ़ राजकोषीय योजना पर काम करने की आवश्यकता के प्रति पूर्णतः सचेत है, तथापि, एफआरबीएम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के मार्ग में कोई भी राजकोषीय बाधा स्वीकार्य नहीं होगी। मौजूदा संदर्भ में, आर्थिक विकास की गति को तीव्रता प्रदान करने के लिए अधिक सार्वजनिक व्यय के जरिए अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करना महत्वपूर्ण माना जाता है। अतः सरकार ने वर्ष 2018-19 के एक और वर्ष तक स.घ.उ. के 3 प्रतिशत पर राजकोषीय घाटे को रखने के एफआरबीएम लक्ष्य को प्राप्त करने का निर्णय लिया है। वर्ष 2017-18 में स.घ.उ. 3.2 प्रतिशत के स्तर पर राजकोषीय घाटे के 2016-17 के अनुमानों की तुलना में 0.3 प्रतिशत की वृद्धि को प्रदर्शित करता है। सांकेतिक संदर्भों में 2017-18 के लिए राजकोषीय घाटा (अनुमानित स.घ.उ. का 3.2 प्रतिशत) 5,46,531 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है।

15. वर्ष 2017-18 में राजस्व घाटा स.घ.उ. का 1.9 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया है जबकि संशोधित अनुमान 2016-17 में यह आंकड़ा स.घ.उ. का 2.1 प्रतिशत था। सांख्यिकी संदर्भों में राजस्व घाटा 2017-18 के बजट अनुमान में 3,21,163 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है। प्रभावी राजस्व घाटा (ईआरडी), जिसका निर्धारण कुल राजस्व घाटे से 'पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान' के लिए उपलब्ध कराई गई राशि को घटाने के बाद ज्ञात किया जाता है, बजट अनुमान 2017-18 में 1,25,813 करोड़ रुपए ज्ञात किया गया था जो स.घ.उ. का 0.7 प्रतिशत है। जैसाकि पहले कहा गया है, राजस्व घाटे में उत्तरोत्तर गिरावट होने के बावजूद 2017-18 तक प्रभावी राजस्व घाटे (ईआरडी) को समाप्त करने का लक्ष्य संभवतः प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऐसा खाते के राजस्व पक्ष में पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान प्राप्त से संबंधित संरचनात्मक समस्याओं के कारण है। उस समय तक इस संरचनात्मक समस्या के एक उपयुक्त एवं उचित लेखांकन तंत्र के जरिए या सरकार के राजस्व-पूंजी संगठन में उल्लेखनीय बदलाव लाकर समाधान कर लिया जाए, तब तक इस असंतुलन के बने रहने की आशा है।

16. वर्ष 2017-18 के बजट में सकल कर राजस्व 19,11,579 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है जो 2016-17 के संशोधित अनुमान की तुलना में 12.2 प्रतिशत और 2016-17 के बजट अनुमान की तुलना में 17.2 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है। बजट अनुमान 2017-18 में कर और स.घ.उ. अनुपात 11.3 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है। यहां इस बात का विशेष उल्लेख किए जाने की आवश्यकता है कि 2016-17 के संशोधित अनुमान और 2017-18 के बजट अनुमान दोनों में 2007-08 के बाद से पहली बार कर और स.घ.उ. अनुपात के 11 प्रतिशत को पार करने का अनुमान लगाया गया है। विमुद्रीकरण के प्रभाव के फलस्वरूप संगठित क्षेत्र के आकार में वृद्धि होने तथा कर के दायरे में आने वालों की संख्या में भी वृद्धि होने तथा साथ ही खपत मांग में हुई कमी के उपरांत अर्थव्यवस्था के एक बार फिर से तीव्र गति पकड़ने की आशा के कारण 2017-18 में कर संग्रहण में तेजी आने का अनुमान है। 2017-18 के संशोधित अनुमान में अनुमानित कर राजस्व प्राप्ति का अनुमान वर्ष के दौरान अतिरिक्त संसाधन जुटाने संबंधी उपायों/कर छूट उपायों को युक्तिसंगत बनाने तथा साथ ही कर प्राप्ति हेतु प्रस्तावित उपायों के फलस्वरूप लगाया गया है।

17. वर्ष 2017-18 के बजट अनुमान में कुल ऋणोत्तर पूंजी प्राप्तियां 84,432 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है जो 2016-17 के संशोधित अनुमान की तुलना में 27,861 करोड़ रुपए की वृद्धि सूचित करता है। इसमें विनिवेश प्राप्तियों के मद में 72,500 करोड़ रुपए की प्राप्ति शामिल है जबकि 2016-17 के संशोधित अनुमान में 45,500 करोड़ रुपए की प्राप्ति का अनुमान लगाया गया था। सरकार का विनिवेश कार्यक्रम पिछले वर्ष की तुलना में 2017-18 में अधिक तेजी से लागू हुआ। 2016-17 के संशोधित अनुमान की तुलना में 27,000 करोड़ रुपए की वृद्धि इस अनुमान पर आधारित है कि विनिवेश को सरकार द्वारा लिए गए अधिक सक्रिय नीतिगत निर्णयों के आधार पर लागू किया जाएगा। ऋणोत्तर पूंजी प्राप्तियों के अन्य घटक में राज्य सरकारों द्वारा ऋण की अदायगी शामिल है जिसके 2017-18 के बजट में 11,932 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है।

18. वर्ष 2017-18 के बजट अनुमान में केंद्र का कुल व्यय 21,46,735 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है जो 2016-17 के 20,14,407 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान की तुलना में 6.6 प्रतिशत की वृद्धि को सूचित करता है। इसमें राजस्व व्यय की मद में 18,36,934 करोड़ रुपए का प्रावधान तथा पूंजी व्यय की मद में 3,09,801 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल है। जबकि केंद्र का राजस्व व्यय 5.9 प्रतिशत की वृद्धि सूचित करता है, इसके पूंजी व्यय में 2016-17 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 10.7 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। राजस्व प्राप्ति-पूंजी अनुपात के 2016-17 के संशोधित अनुमान में 2017-18 के बजट अनुमान में के स्तर पर रहने का अनुमान लगाया गया है।

19. व्यापक राजस्व तथा पूंजी वर्गीकरण से भिन्न सरकार के व्यय के प्रमुख घटकों को दो मुख्य खंडों में विभाजित किया गया है जो केंद्र के व्यय (केंद्र तथा इसकी एजेंसियों द्वारा सीधे व्यय किए गए) तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अंतरित राशि से संबंधित हैं। केंद्र का व्यय संशोधित अनुमान 2016-17 के 16,16,712 करोड़ रुपए से बढ़कर 2017-18 के बजट अनुमान में 17,23,407 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है। इसी प्रकार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कुल अंतरण 2016-17 के संशोधित अनुमान के 3,97,695 करोड़ रुपए से बढ़कर 2017-18 के बजट अनुमान में 4,23,328 करोड़ रुपए हो जाने का अनुमान है।

20. आयोजना एवं आयोजना-भिन्न वर्गीकरण का विलय कर दिए जाने के अतिरिक्त, 2017-18 के बजट प्रपत्रों में केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों के समेकित परिणाम बजट से संबंधित एक पृथक प्रपत्र शामिल किया गया है। यह प्रपत्र मंत्रालयों/विभागों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के लिए बजटीय परिव्यय को वास्तविक एवं वित्तीय आउटपुट/सुपुर्दगी योग्य रूप में और साथ ही मध्यकालिक परिणामों के रूप में संयोजित करता है। इससे हितधारकों को यह समझने में आसानी होगी कि प्रस्तावित परिव्यय क्या हैं तथा उनसे क्या प्राप्त करने का अभिप्राय है। इससे केंद्रीय क्षेत्र तथा साथ ही केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं, दोनों के कार्यान्वयन में उत्तरदेयता में वृद्धि होगी।

वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए राजकोषीय संभावनाएं

21. सरकार की मध्यावधिक राजकोषीय संभावनाएं एफआरबीएम की सीमाओं और बजट अनुमानों को आधार के रूप में प्रयोग करती हैं तथा ऐसे जोखिमों और अनिश्चितताओं के अध्वधीन हैं जो राजकोषीय समूह को प्रभावित करती हैं। यह पहले ही बताया जा चुका है कि संशोधित एफआरबीएम अधिनियम के अनुसार अधिदेशित स.घ.उ. के 3 प्रतिशत के राजकोषीय घाटा का लक्ष्य 2017-18 तक प्राप्त किया जाना था। इसे अब वर्ष 2018-19 में प्राप्त किए जाने की आशा है। एफआरबीएम के विद्यमान उपबंधों के तहत वर्ष 2018-19 के बाद स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे को और कम करने की कोई भी सांविधिक अपेक्षा नहीं होगी। अतः वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए राजकोषीय घाटा स.घ.उ. का 3 प्रतिशत अनुमानित किया गया है। इसके फलस्वरूप उन वर्षों में स.घ.उ. में हुई सांकेतिक वृद्धि के आधार पर सरकार द्वारा अतिरिक्त राजकोषीय अनुमान किया जा सकेगा।

22. राजस्व घाटे को नियंत्रण में रखना सामान्य परिस्थितियों में राजकोषीय विवेक का आकलन करने के लिए एक महत्वपूर्ण बेंचमार्क है। तथापि, भारतीय संदर्भ में केंद्र तथा राज्यों के बीच राजकोषीय संघीय व्यवस्थाओं के संदर्भ में केंद्र द्वारा राज्यों को पूंजी व्यय के लिए अभिप्रेत राशियां भी अंतरित करनी होती हैं जो राजस्व अनुदान के रूप में विशेषकर अनुरक्षण कार्यों पर होने वाले व्यय से संबंधित महत्वपूर्ण राजस्व घटकों के आवंटन में वृद्धि करने की विशिष्ट आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए केंद्र के लिए ऐसा करना अनिवार्य हो जाता है, राजस्व घाटे को कम करने पर अत्यधिक ध्यान दिया जाना उत्पादन के विरुद्ध होगा और इससे अर्थव्यवस्था में पूंजी आस्तियों पर प्राप्त होने वाले प्रतिलाभ पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। तथापि, अनुत्पादनकारी राजस्व व्यय को और अधिक युक्तिसंगत बनाने के लिए किए जाने वाले प्रयासों पर ध्यान बना रहेगा। इन्हें ध्यान में रखते हुए तथा एफआरबीएम अधिनियम, जिसके अंतर्गत राजस्व घाटे को स.घ.उ. के 2 प्रतिशत पर रखने का अधिदेश जारी किया गया है, की अपेक्षाओं के दृष्टिगत राजस्व घाटे को 2018-19 और 2019-20 में अनुमानित स.घ.उ. के 1.6 प्रतिशत और 1.4 प्रतिशत के स्तर पर होने का अनुमान लगाया गया है।

23. 14वें वित्त आयोग ने प्रभावी राजस्व घाटे से संबंधित संकल्पना को राजकोषीय मानक निर्धारण की मानक प्रणालियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला मानते हुए इस संकल्पना को स्वीकार न करने की सिफारिश की है। तथापि, इस अतिरिक्त बेंचमार्क को जारी रखने के कुछ सुस्पष्ट लाभ भी हैं। एक ओर इससे राजस्व व्यय के पूंजी घटक को स्पष्टता

प्राप्त होती है जिससे केंद्रीय कोष से अर्थव्यवस्था में पूंजी निवेश के वास्तविक व्यय का पता चलता है, जबकि साथ ही यह राजस्व व्यय के इस घटक को कतिपय मूर्त वास्तविक परिसंपत्ति बनाने के लिए भी प्रेरित करता है।

24. जैसाकि पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में उल्लेख किया गया है, इस संबंध में एक उपर्युक्त संतुलन बनाए जाने की आवश्यकता है ताकि पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदानों पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किए जाने के फलस्वरूप विकास से संबंधित आवश्यकताओं जैसेकि विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति या अस्पतालों के रख-रखाव तथा उनमें आवश्यक आपूर्ति को बनाए रखने या सड़कों एवं अन्य अवसंरचना परिसंपत्तियों के रख-रखाव पर व्यय के अन्य अनिवार्य राजस्व घटकों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। हमें अनिवार्य अनुरक्षण एवं आपूर्ति, विशेषकर सेवाओं के सार्वजनिक वितरण से संबंधित प्रमुख क्षेत्रों में व्यय के लिए पर्याप्त आवंटन पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। अतः इन संदर्भों में प्रभावी राजस्व घाटा 2018-19 और 2019-20 में अनुमानित स.घ.उ. का क्रमशः 0.4 प्रतिशत और 0.2 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है। यह अनुमान एफआरबीएम अधिनियम के अंतर्गत ईआरडी के लक्षित निराकरण से एक प्रकार का विचलन होगा तथा इस पहलू के संबंध में निर्णय करते समय वर्ष के दौरान बाद में एफआरबीएम (समीक्षा) समिति की सिफारिशों के आधार पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी।

25. भारतीय अर्थव्यवस्था के मध्यकालिक अवधि के दौरान एक स्थायी तीव्र विकास के पथ पर लौट आने की आशा है। इससे और विशेषकर शीघ्र लागू किए जाने वाले जीएसटी से संबंधित प्रमुख कर सुधार संबंधी नीतिगत उपायों तथा साथ ही हाल में किए गए विमुद्रीकरण संबंधी उपायों के परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए किए गए वृहत उपायों के कारण प्राप्त हुए लाभकारी प्रभाव को ध्यान में रखते हुए कर संग्रहण में तेजी आने की संभावना है। अतः कर और स.घ.उ. अनुपात में मध्यकालिक अवधि के कारण सुधार प्रदर्शित होने का अनुमान है और इसके वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान स.घ.उ. के क्रमशः 11.6 प्रतिशत और 11.9 प्रतिशत के स्तर पर रहने की आशा है।

26. सरकार के लिए कर राजस्व के अलावा कर-भिन्न राजस्व प्राप्ति राजस्व का दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत है। कर-भिन्न राजस्व प्राप्ति में कभी-कभी होने वाली तीव्र वृद्धि, विशेषकर स्पेक्ट्रम की नीलामी के कारण के अतिरिक्त, अधिकांश कर-भिन्न राजस्व स्रोत अत्यधिक अपरिवर्तनशील स्रोत हैं। मध्यावधिक समय के दौरान कर-भिन्न राजस्व का अनुमान अत्यधिक सोच-विचार करके 2018-19 और 2019-20 के दौरान सघउ का 1.4 प्रतिशत और 1.3 प्रतिशत होने का अनुमान है। सरकार ने राजस्व के कर-भिन्न स्रोतों की समीक्षा और उनके संवर्धन के लिए सुझाए गए उपायों के संबंध में व्यय प्रबंधन समिति (ईएमसी) द्वारा की गई अनेक सिफारिशों को भी लागू किया है। इनमें लाभांश भुगतान के संबंध में संशोधित दिशानिर्देश, प्रयोक्ता प्रभारों/ शुल्कों की अनिवार्य समीक्षा, आदि शामिल हैं जिनके फलस्वरूप मध्यावधिक समय के दौरान अधिक राजस्व प्राप्ति की आशा है।

27. वर्ष 2017-18 में कुल सरकारी व्यय और स.घ.उ. अनुपात 12.7 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है। 2018-19 और 2019-20 में इसके क्रमिक रूप से घटकर 12.2 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है। राजस्व तथा पूंजी व्यय के बीच संतुलन के 2019-20 तक संशोधित होकर 85:15 होने की आशा है। तथापि, मध्यकालिक अवधि के दौरान भुगतान अथवा व्यय परिणामों में अंतर हो सकता है जो राजकोषीय

घटनाओं तथा समग्र वृहत आर्थिक परिस्थितियों सहित अनेक कारणों के फलस्वरूप है।

28. मध्यमकालिक अवधि के दौरान व्यापक राजकोषीय अनुमानों को ध्यान में रखते हुए केंद्र की कुल अनुमानित देनदारियों के 2017-18 के 44.7 प्रतिशत से घट कर 2018-19 और 2019-20 में स.घ.उ. के क्रमशः 42.8 प्रतिशत और 40.9 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है। वित्त आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में सघउ के 40 प्रतिशत अनुमान की तुलना में ये आंकड़े अभी भी लक्षित कुल देनदारियों से अधिक के स्तर पर हैं। राजकोषीय की प्रक्रिया जारी है।

क. राजकोषीय संकेतकों में अंतर्निहित संकल्पनाएं

1. राजस्व प्राप्ति

(क) कर राजस्व

29. सकल कर राजस्व जो वर्ष 2007-08 के बाद से स.घ.उ. के 10 प्रतिशत की रेंज में लंबे समय से स्थिर था, में 2016-17 के बजट अनुमान में बढ़कर स.घ.उ. के 10.8 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच जाने का अनुमान है। अब इसके 2016-17 के संशोधित अनुमान में बढ़कर 11.3 प्रतिशत हो जाने का अनुमान लगाया गया है और 2017-18 के बजट अनुमान में इसके इसी स्तर का (11.3 प्रतिशत) पर रहने का अनुमान है। 2017-18 में सकल कर राजस्व में वृद्धि की दर 2016-17 के संशोधित अनुमान की तुलना में 12.2 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है। 2016-17 के संशोधित अनुमान में अनुमानित 17 प्रतिशत की वृद्धि दर के मुकाबले कर राजस्व में वृद्धि की दर में मामूली कमी आने का अनुमान व्यक्त किया गया है। तथापि, मौजूदा वृहत आर्थिक अनिश्चितताओं तथा मौजूदा वर्ष में वास्तविक विकास की कम गति को देखते हुए वित्तीय दृष्टि से विवेक सम्मत होगा कि इस चरण में अनुमानों को अनुदार होकर अभिव्यक्त किया जाए।

30. वर्ष 2017-18 के बजट अनुमान में प्रत्यक्ष कर संग्रहण 9,80,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है जो 2016-17 के संशोधित अनुमान की तुलना में 15.6 प्रतिशत वृद्धि दर सूचित करता है। 2017-18 में सकल कर राजस्व में प्रत्यक्ष कर की हिस्सेदारी 51.3 प्रतिशत होने का अनुमान है। अप्रत्यक्ष कर जो 2016-17 में विशेषकर उत्पाद कर एवं सेवा कर की वसूली में तेजी आने के कारण 2016-17 के संशोधित अनुमान की तुलना में 8.8 प्रतिशत वृद्धि दर्शाते हुए 2017-18 के बजट अनुमान में 9,26,900 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है, समग्र कर राजस्व में 48.5 प्रतिशत की भागीदारी सूचित करता है। अप्रत्यक्ष करों की तुलना में प्रत्यक्ष करों की उच्च हिस्सेदारी का रुझान हालांकि बना हुआ है, किन्तु इसमें एक अल्पावधि रुझान के बाद अंतराल कम होने की ओर अग्रसर है।

31. प्रत्यक्ष करों में, आय पर कर से राजस्व में 2016-17 के संशोधित अनुमान की तुलना में 24.9 प्रतिशत बढ़कर 2017-18 के बजट अनुमान में 4,41,255 करोड़ रुपए पर पहुंच जाने का अनुमान है। निगम कर जिसकी वृद्धि दर में कमी का रुझान बना हुआ है, के 2016-17 के संशोधित अनुमान की तुलना में 9.1 प्रतिशत बढ़कर 2017-18 के बजट अनुमान में 5,38,745 करोड़ रुपए हो जाने का अनुमान लगाया गया है।

32. अप्रत्यक्ष कर संग्रहण अत्यधिक तीव्र गति से हुआ है जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अप्रैल-दिसम्बर, 2016 के दौरान 25 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्शाता है। अप्रत्यक्ष करों में इस अत्यधिक वृद्धि से यह ज्ञात होता है कि यह बजटीय अनुमान को एक बड़े अंतर से पार कर लेगा। भारत में अप्रत्यक्ष कर-स.घ.उ. अनुपात 2015-16 में लगभग 5.2 प्रतिशत था जिसके 2016-17 के संशोधित अनुमान में बढ़कर लगभग 5.7 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है। अप्रत्यक्ष कर-स.घ.उ. अनुपात में वृद्धि करने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं जैसेकि नीतिगत उपायों के जरिए कर आधार को व्यापक बनाना, सभी सेवाओं का व्यापक कराधान/ऋणात्मक सूची दृष्टिकोण अपनाना तथा जहां कहीं भी संभव हो अतिरिक्त उत्पाद शुल्क वसूली में वृद्धि करते हुए छूट में कटौती करना। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा राजस्व संग्रहण में सुधार के लिए जोखिम प्रबंधन प्रणालियों के बेहतर उपायों, सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग, विशेष जांचों, अधिक तेजी से समायोजन, बकाया राशियों के परिसमापन, जब्त किए गए/पकड़े गए माल का तेजी से निस्तारण आदि जैसे अनेक उपाय किए गए हैं।

33. अप्रत्यक्ष करों में, 2016-17 के दौरान केंद्रीय उत्पाद शुल्क में असाधारण रूप से वृद्धि हुई है। अप्रत्यक्ष करों के इस घटक से प्राप्ति में 2015-16 (वास्तविक) की तुलना में 2016-17 के संशोधित अनुमान में 34.5 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। इस रुझान में पिछले वर्ष में तेल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लागू किए जाने के आधार प्रभाव के कारण 2017-18 में मामूली कमी आने की संभावना है। केंद्रीय उत्पाद से राजस्व प्राप्ति 2016-17 के संशोधित अनुमान की तुलना में लगभग 5 प्रतिशत बढ़कर 2017-18 के बजट अनुमान में 4,06,900 करोड़ रुपए हो जाने का अनुमान व्यक्त किया गया है। सेवा कर घटक में 2016-17 के संशोधित अनुमान की तुलना में 11.1 प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है और इसके 2017-18 के बजट अनुमान में 2,75,000 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच जाने का अनुमान लगाया गया है। सकल कर राजस्व में सीमा शुल्क संग्रहण का हिस्सा 2017-18 के बजट अनुमान 2017-18 में 2,45,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान व्यक्त किया गया है जो 2016-17 के संशोधित अनुमान की तुलना में 12.9 प्रतिशत की वृद्धि को सूचित करता है।

34. कर-स.घ.उ. अनुपात के 11 प्रतिशत की सीमा तथा जीएसटी सुधारों को लागू करने के मार्ग की बाधाओं को पार कर लेने तथा प्रत्यक्ष कर सुधारों के लिए आवश्यक उपायों की घोषणा किए जाने से कर और स.घ.उ. अनुपात के निकट भविष्य में 12 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच जाने का अनुमान है। इनके दृष्टिगत, कर और स.घ.उ. अनुपात वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान क्रमशः 11.6 प्रतिशत और 11.9 प्रतिशत होने का अनुमान है।

(ख) राज्यों को अंतरण

35. यह 14वें वित्त आयोग की अवधि का मध्य चरण है। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने सकल कर राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी में वृद्धि की थी। वर्ष 2015-16 से राज्यों को कर अंतरण 10 प्रतिशत बढ़ाकर सकल कर राजस्व की विभाजन योग्य राशि के 32 प्रतिशत से 42 प्रतिशत कर दिया गया है। कर राजस्व में से राज्यों की हिस्सेदारी का अंतरण, जो बजट अनुमान 2016-17 में 5,70,337 करोड़ रुपए आंका गया था, वर्ष के दौरान सकल कर संग्रहण में पर्याप्त वृद्धि के परिणामस्वरूप संशोधित अनुमान में बढ़कर

6,08,000 करोड़ रुपए हो गया है। बजट अनुमान 2017-18 में कर में राज्यों की हिस्सेदारी 6,74,565 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो सकल कर राजस्व (उपकर/अधिभार और संग्रहण लागत आदि घटाने के बाद) की विभाजन योग्य राशि का 42 प्रतिशत है।

36. मध्यावधिक समय के दौरान सकल कर राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखकर अनुमानित की गई है। कर की राशि में राज्यों की हिस्सेदारी घटाने के बाद केंद्र का निवल कर राजस्व 2017-18 के बजट अनुमान में 12,27,014 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है जो अनुमानित स.घ.उ. का 7.3 प्रतिशत है। वर्ष 2018-19 और 2019-20 में केंद्र के निवल कर राजस्व के मामूली बढ़कर स.घ.उ. का क्रमशः 7.5 प्रतिशत और 7.7 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है।

(ग) कर-भिन्न राजस्व

37. कर-भिन्न राजस्व में भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से प्राप्त लाभांश की राशि (रेल बजट का केंद्रीय बजट के साथ विलय हो जाने के बाद रेल मंत्रालय 2017-18 से लगी हुई पूंजी पर लाभांश का भुगतान नहीं करेगा); केंद्र द्वारा दिए गए ऋण पर मुख्य रूप से राज्यों से ब्याज प्राप्तियां, दूरसंचार से प्राप्तियां, अपतट तेल क्षेत्रों से रॉयल्टी तथा पेट्रोलियम से लाभ एवं विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा वसूले जाने वाले अन्य प्रयोक्ता प्रभार तथा शुल्क आदि शामिल हैं।

38. वर्ष 2017-18 के बजट में कर भिन्न राजस्व 2,88,757 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है, जो 2016-17 के संशोधित अनुमान की तुलना में 46,013 करोड़ रुपए कम है। कर-भिन्न राजस्व प्राप्ति के अनुमान में कमी मुख्य रूप से 2016-17 में स्पेक्ट्रम की नीलामी से प्राप्त अतिरिक्त राशि के फलस्वरूप है जो 2017-18 के बजट अनुमान का घटक नहीं है। परिणामस्वरूप दूरसंचार प्राप्ति के 2016-17 के संशोधित अनुमान में 78,715 करोड़ रुपए से घटकर 2017-18 के बजट अनुमान में 44,342 करोड़ रुपए हो जाने का अनुमान है।

39. कुल कर-भिन्न राजस्व प्राप्ति 2017-18 के बजट अनुमान में स.घ.उ. का 1.7 प्रतिशत होने का अनुमान है। यह 2016-17 के संशोधित अनुमान में अनुमानित स.घ.उ. के 2.2 प्रतिशत की तुलना में पर्याप्त कम है। प्रतिशत संदर्भ में यह 2016-17 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 13.8 प्रतिशत की कमी दर्शाता है। मध्यकालिक अवधि के दौरान कर भिन्न राजस्व प्राप्ति 2018-19 और 2019-20 वर्षों के दौरान स.घ.उ. के क्रमशः 1.4 प्रतिशत और 1.3 प्रतिशत पर रहने की आशा है।

40. कर-भिन्न राजस्व प्राप्ति में वृद्धि उनके घटकों की विशिष्ट प्रकृति के कारण कम तथा अप्रत्याशित रही है क्योंकि उनके स्कोप में वृद्धि होने की सीमित संभावनाएं हैं। ऐसा इसलिए भी है कि अन्य देशों में कर-भिन्न राजस्व के कुछ प्रमुख स्रोतों में संपत्ति कर और खनिज पदार्थों से रायल्टी से प्राप्त राजस्व भी शामिल किया जाता है। हमारे देश के संदर्भ में ये प्राप्ति राजस्व सरकारों के अधिकार क्षेत्र में हैं। इसके अतिरिक्त, रेलवे को विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त राजकोषीय सहायता प्रदान करने तथा उससे लाभांश प्राप्त न करने के संबंध में सरकार के निर्णय से केंद्र के कर-भिन्न राजस्व पर अधोमुखी दबाव पड़ेगा और

उसकी प्राप्ति में कमी आएगी। उपर्युक्त के बावजूद अन्य घटकों में अनुमानित कर-भिन्न राजस्व मुख्यतया लाभांश भुगतान संबंधी संशोधित दिशानिर्देशों के सकारात्मक प्रभाव के साथ-साथ विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले विभिन्न उत्पादों तथा सार्वजनिक सेवाओं की दरों और प्रभारों की समीक्षा/संशोधन किए जाने के कारण सामान्यतः वृद्धिशील प्रवृत्ति दर्शाते हैं।

2. पूंजी प्राप्ति

(क) ऋणों और अग्रियों की वसूली

41. ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्ति के दो मुख्य घटक अर्थात् ऋणों और अग्रियों की वसूली और विनिवेश प्राप्ति हैं। ऋणों और अग्रियों की वसूलियों के बजट अनुमान 2017-18 में 11,932 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जबकि संशोधित अनुमान 2016-17 में यह 11,071 करोड़ रुपए थी। विदेशी सहायताप्राप्त परियोजनाओं हेतु लिए गए ऋण के दोतरफा अंतरण को छोड़कर राज्यों को कोई नया ऋण न देने से इस शीर्ष के अंतर्गत प्राप्ति धीरे-धीरे गिरती प्रवृत्ति दर्शा रही है। ऋणों की वसूली के अन्य स्रोत पहले दिए गए ऋणों की वसूली के लिए सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से ऋण की वसूली है। तथापि, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा ऋणों की अदायगी, हानि उठाने वाले और रूग्ण सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से वसूली न होने के कारण प्रभावित हुई। राज्यों से देय राशि और सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से प्राप्ति के वास्तविक प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए 2018-19 और 2019-20 में अनुमानित प्राप्ति राशि प्रत्येक वर्ष में 10,000 करोड़ रुपए रखी गई है।

(ख) अन्य ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्ति

42. ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्ति के मुख्य हिस्से में आस्तियों की कार्यनीतिक बिक्री सहित सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में स्टेक बिक्री के कारण विनिवेश प्राप्ति शामिल हैं। बजट अनुमान 2016-17 में, अल्पसंख्यक स्टेक धारिता कंपनियों में कार्यनीतिक बिक्री से 20,500 करोड़ रुपए सहित विनिवेश प्राप्ति 56,500 करोड़ रुपए थी। 2016-17 के संशोधित अनुमान में कुल विनिवेश प्राप्ति 45,500 करोड़ रुपए होना अनुमानित है। वास्तविक विनिवेश प्राप्ति में कमी, पिछले वर्ष हासिल किए गए स्तर से कम होने का अनुमान है।

43. सरकार के सक्रिय उपायों, विशेषकर रूग्ण सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के बंद/बिक्री के लिए और जो गति विनिवेश में प्राप्त की गई है, को देखते हुए विनिवेश प्राप्ति बजट अनुमान 2017-18 में 72,500 करोड़ रुपए पूर्वानुमानित हैं, जो वर्ष के लिए अनुमानित स.घ.उ. का लगभग 0.43 प्रतिशत बैठता है। यह 2016-17 के संशोधित अनुमान की तुलना में 27,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी है। तथापि, बजट अनुमान 2017-18 में विनिवेश प्राप्ति के अनुमान वर्ष के लिए अनुमानित स.घ.उ. के 0.7 प्रतिशत के 14वें वित्त आयोग के अनुमान से कम बने हुए हैं। विनिवेश प्राप्ति का लक्ष्य 2018-19 और 2019-20 में क्रमशः 47,000 करोड़ रुपए और 40,000 करोड़ रुपए रखा गया है।

(ग) उधार - सरकारी ऋण और अन्य देनदारियां

44. सरकार की कुल देनदारी में सरकारी ऋण और भारत के लोक लेखा में अन्य देनदारियां शामिल हैं। देनदारियों के सरकारी ऋण भाग में प्रमुख घटक आंतरिक सरकारी ऋण से संबंधित है और शेष विदेशी ऋण घटक है। केंद्र का विदेशी ऋण कुल देनदारियों का बहुत छोटा

घटक है क्योंकि सरकारी उधार मुख्यतया घरेलू बाजारों की ही हैं। केंद्र का कुल सरकारी ऋण संशोधित अनुमान 2016-17 में 59,56,527 करोड़ रुपए की तुलना में बजट अनुमान 2017-18 में 64,20,951 करोड़ रुपए अनुमानित है। स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में कुल सरकारी ऋण 2016-17 में स.घ.उ. के 39.5 प्रतिशत से गिरकर 2017-18 में स.घ.उ. का 38.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है। मार्चांत 2016 में विदेशी ऋण का हिस्सा मात्र 3.8 प्रतिशत था जबकि शेष 96.2 प्रतिशत बही मूल्य पर आंतरिक बाजार ऋण बैठता है।

45. मौजूदा विनिमय दर पर विदेशी ऋण सहित तथा पृष्ठ 1 (सारणी) में यथा इंगित राशि को घटाने के बात केंद्र सरकार की कुल बकाया देनदारियां 75,36,622 करोड़ रुपए आंकी गई हैं जो 2016-17 के संशोधित अनुमान में 46.7 प्रतिशत की तुलना में बजट अनुमान 2017-18 में स.घ.उ. का 44.7 प्रतिशत अनुमानित हैं। सरकारी खाते की देनदारियों के प्रतिशत हिस्से में वृद्धिकारी प्रवृत्ति दर्शाने का अनुमान है क्योंकि 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने अब के बाद एनएसएसएफ प्राप्तियों को राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों में निवेश बंद करने का निर्णय लिया है। केवल अरुणाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश और संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली, जिन्होंने ऐसा चुना है, एनएसएसएफ संग्रहणों में अपना हिस्सा प्राप्त करेंगे। इससे केंद्र के साथ-साथ राज्यों की उधार लेने की पद्धति में बड़ा परिवर्तन आने की संभावना है। केंद्र के मामले में केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में एनएसएसएफ प्राप्तियों (निवल संग्रहण और राज्यों से वापसी अदायगियों) के अतिरिक्त निवेश की जरूरत होने के दृष्टिगत बाजार उधारों के घटक में सहवर्ती कमी होगी। ठीक इसके विपरीत, राज्य सरकारों के बाजार उधारों का आकार बढ़ने की संभावना है क्योंकि एनएसएसएफ से कोई प्राप्तियां नहीं होंगी।

46. बजट अनुमान 2016-17 में दिनांकित प्रतिभूतियों के जरिए सकल और निवल बाजार उधार क्रमशः 6,00,000 करोड़ रुपए और 4,25,181 करोड़ रुपए अनुमानित हैं। इससे तुलना करने पर केंद्र की सकल और निवल बाजार उधार 2017-18 के दौरान गिरकर सकल आधार पर 5,80,000 करोड़ रुपए और निवल आधार पर 3,48,226 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। एनएसएसएफ प्राप्तियों के अलावा, वेतन पुनरीक्षण के कारण सामान्य भविष्य निधि के तहत बढ़ा हुआ अभिदान वह दूसरा कारक है जो 2016-17 और 2017-18 दोनों में सरकारी लेखे की देनदारियों में अंशतः योगदान करता है। बजट अनुमान 2017-18 में, दिनांकित प्रतिभूतियों के जरिए निवल उधार 2016-17 के संशोधित अनुमानों में 72.5 प्रतिशत के विपरीत राजकोषीय घाटे के 63.7 प्रतिशत को वित्तपोषित करने का अनुमान है। अल्पावधिक राजकोषीय हुंडियों, निवल विदेशी सहायता और सरकारी लेखा शेष जैसे घाटा वित्तपोषित करने वाले अन्य स्रोतों के वित्तपोषण से वर्ष 2017-18 में राजकोषीय घाटे के वित्त पोषित होने का अनुमान है।

47. केंद्र की विदेशी उधार में केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए दी गई उधार तथा वापसी दर वापसी आधार पर राज्य सरकारों को सावरेन के नाम पर दी जाने वाली उधार (क्योंकि संविधान राज्यों द्वारा विदेशी स्रोतों द्वारा उधारों को प्रतिबंधित करता है) शामिल है। संशोधित अनुमान 2016-17 में विदेशी उधार, मुख्यतः बहुपक्षीय अभिकरणों द्वारा, 7,257 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो बजट अनुमानों की तुलना में घटकर 7,257 करोड़ रुपए हुई है। बजट अनुमान 2017-18 में, विदेशी उधार 15,789 करोड़ रुपए अनुमानित है।

48. वर्ष 2016-17 में राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 3.5 प्रतिशत से 2017-18 में घटकर स.घ.उ. का 3.2 प्रतिशत रह जाने के साथ, सांकेतिक दृष्टि से बजट अनुमान 2017-18 में राजकोषीय घाटा 5,46,531 करोड़ रुपए अनुमानित है। संशोधित अनुमान 2016-17 से राज्यों की अमध्यस्थता के कारण और केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में संपूर्ण एनएसएसएफ (निवल) संग्रहण के निवेश तथा वापसी खरीद और प्रतिभूतियों आदि को प्रयोग में लाकर ऋण प्रबंधन के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत तकनीकों के जरिए बेहतर ऋण प्रबंधन के परिणामस्वरूप बाजार उधार में कमी आने का अनुमान है।

49. एनएसएसएफ संग्रहण से प्रोद्भूत नकदी प्रवाह को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान दिनांकित प्रतिभूतियों तथा अल्पावधिक लिखतों के जरिए निवल बाजार उधारों में कटौती की है। संशोधित अनुमान 2016-17 में वर्ष के बजट अनुमानों से निवल बाजार उधार 18,000 करोड़ रुपए घटा दी गई है। राजकोषीय हुंडियों के जरिए अल्पावधिक उधार भी 2016-17 के बजट अनुमान से 52,000 करोड़ रुपए तक घटा दी गई है। (बजट अनुमान 2017-18 में भी केंद्र के घाटे को वित्तपोषित करने हेतु निवल बाजार उधार बजट अनुमान 2016-17 के स्तर पर अर्थात् 3.48 लाख करोड़ रुपए अनुमानित की गई है। एनएसएसएफ की उधार बजट अनुमान 2017-18 में 90,376 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,00,157 करोड़ रुपए हो जाने का अनुमान है।)

50. वर्ष 2016-17 में, मूल्यवर्गित दिनांकित प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गमन की भारत औसत परिपक्वता वर्ष 2015-16 में 16.03 वर्षों से बढ़कर 14.75 वर्ष हो गई। वित्त वर्ष 2016-17 (जनवरी 2017 तक) में निर्गमित प्रतिभूतियों की भारत औसत आय वर्ष 2015-16 के 7.9 प्रतिशत से गिरकर 7.2 प्रतिशत हो गई है। कम आय का यह वातावरण आरबीआई द्वारा प्रारंभ किए गए मुद्रास्फीति लक्षित तंत्रों के मद्देनजर मुद्रास्फीति के गिरते परिदृश्य के साथ निरंतर बना रहा। बैंकिंग क्षेत्र में जमाओं की उच्च राशि (निजी क्षेत्र के निवेशों की मांगों में मंद वृद्धि के साथ) को देखते हुए अल्प आय का यह परिदृश्य लघु से मध्य अवधि में बना रहना संभावित है।

51. सरकार को ऋण और स.घ.उ. के बीच के अनुपात को राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में ब्याज भुगतानों पर व्यय में कटौती के माध्यम से भावी वर्षों में अतिरिक्त राजकोषीय स्थान सृजित करने के लिए नीचे लाना होगा। वर्तमान में ब्याज अदायगी केंद्र की कुल राजस्व प्राप्तियों (संशोधित अनुमान 2016-17) का 33.9 प्रतिशत भाग है। बजट अनुमान 2017-18 में, इसके थोड़ा सा बढ़कर केंद्र की निवल राजस्व प्राप्तियों का 34.5 प्रतिशत तक होने का अनुमान है। इसे एनएसएसएफ उधारों से संबद्ध उच्चतर ब्याज लागतों के हिसाब से स्पष्ट किया जा सकता है, जिसकी मात्रा राज्यों की गैर-मध्यस्थता और 2017-18 के दौरान अनुमानित उच्चतर राजकोषीय घाटे के कारण सांकेतिक अर्थों में पर्याप्त रूप से बढ़ रही है।

3. कुल व्यय

52. जैसाकि पिछले बजट में घोषित किया गया था, सरकार ने आयोजना और आयोजना-भिन्न के बीच व्यय वर्गीकरण को समाप्त करते हुए बजट 2017-18 में बहुत बड़े व्यय सुधार क्रियान्वित किए हैं। इसे व्यय को राजस्व और पूंजी में वर्गीकृत करने की संवैधानिक रूप से अधिदेशित और सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत मानक पद्धति द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। सरकार ने विगत बजट की प्रस्तुति के तुरंत बाद इस

दिशा में पहले ही तैयारियां प्रारंभ कर दी थी। वित्त मंत्रालय द्वारा महालेखा नियंत्रक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ-साथ सात राज्य सरकारों के प्रधान सचिवों (वित्त) सहित महत्वपूर्ण हितधारकों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक कार्य समूह गठित किया गया था। इस कार्यदल ने विभिन्न बजट दस्तावेजों के स्वरूप में परिवर्तनों सहित आयोजना और आयोजना-भिन्न के विलय की रूपरेखा तैयार करते हुए मार्गदर्शन टिप्पणी का मसौदा तैयार किया था। इन पर चर्चा की गई और इन्हें सभी मंत्रालयों/विभागों के साथ-साथ राज्य सरकारों को परिचालित किया गया था। अधिकांश राज्य सरकारों द्वारा इस सुधार को अपने 2017-18 के बजट में लागू किए जाने की संभावना है।

53. केंद्र के व्यय की रूपरेखा अत्यधिक आयोजना केंद्रित थी क्योंकि 'आयोजना' व्यय को विकासात्मक और 'आयोजना-भिन्न' को गैर विकासात्मक व्यय माना जाता था। विगत की इस परिपाटी से सरकार की व्यय रूपरेखा में काफी विकृति पैदा होती थी जहां महत्वपूर्ण जनशक्ति से संबंधित अथवा अनुरक्षण वचनबद्धताओं को नजरअंदाज किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त, सरकार की किसी योजना/कार्यक्रम के लिए व्यय वचनबद्धता का समग्र रूप से निर्धारण नहीं किया गया होता था बल्कि आयोजना और आयोजना-भिन्न को विभक्त किया गया था। इसके फलस्वरूप, सेवा सुपुर्दगी की लागत का निर्धारण करना ही नहीं हुआ बल्कि परिव्ययों को सुपुर्दगी योग्य मर्दों और परिणामों से जोड़ना भी कठिन हुआ है।

54. यह आशा की जाती है कि पूंजी और राजस्व आधारित वर्गीकरणों में बजट प्रस्तुत किए जाने के चलते सरकारी संसाधनों और नीति निर्माण का प्रभावी प्रयोग होगा और क्षेत्रक जरूरतें भी बजटीय आवंटनों के लिए निर्धारित करने में आसान होंगी। राजस्व पूंजी वर्गीकरण पर फोकस पर्याप्त वित्तपोषण के साथ-साथ निष्पादनोन्मुख दृष्टिकोण विकसित करने के लिए सरकार की प्रचालन लागत के वांछनीय स्तरों के निर्धारण के लिए अनिवार्य है। अतः सरकार के व्यय से संबंधित बजट दस्तावेजों को संसद की अनुमान समिति के अनुमोदन से संशोधित किया गया ताकि बजट को विशेष रूप से राजस्व और पूंजी व्यय के रूप में प्रस्तुत किया जा सके।

55. राजस्व-पूंजी वर्गीकरण के अलावा व्यय वर्गीकरण में कतिपय अन्य मानकीकरण सभी अनुदान मांगों में किया गया है। केंद्र के कुल व्यय को दो मुख्य श्रेणियों (i) केंद्र का व्यय (ii) राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण में विभक्त किया गया है। केंद्र के व्यय को भी (क) सचिवालय व्यय (ख) केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाएं (ग) अन्य केंद्रीय व्यय में संयोजित किया गया है। इसी प्रकार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अंतरण को तीन उप-श्रेणियों (क) वित्त आयोग के अंतरण (ख) केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजनाएं और (ग) अन्य अंतरण में प्रस्तुत किया गया है।

56. बजट 2017-18 में व्यय आवंटन के संबंध में, केंद्र का कुल व्यय बजट अनुमान 2017-18 में 21,46,735 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है जो संशोधित अनुमान 2016-17 की तुलना में 1,32,328 करोड़ रुपए अथवा 6.6 प्रतिशत की वृद्धि है। स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में कुल व्यय 2009-10 में स.घ.उ. के 15.8 प्रतिशत के उच्च स्तर से कम होकर 2015-16 में स.घ.उ. का 13.2 प्रतिशत पर आ गया। वर्ष

2016-17 (संशोधित अनुमान) में, वेतन और पेंशन संशोधनों की अतिरिक्त व्यय देयताएं पूरी करने और पर्याप्त अन्य मध्य वर्षीय अतिरिक्त आवंटनों के बावजूद कुल व्यय स.घ.उ. का 13.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है। बजट 2017-18 में, सरकार का कुल व्यय कम होकर स.घ.उ. के 12.7 प्रतिशत के स्तर पर आने का अनुमान है।

I. राजस्व खाता

57. बजट 2017-18 में अनुमानित कुल राजस्व व्यय 18,36,934 करोड़ रुपए के स्तर पर है जो संशोधित अनुमान 2016-17 की तुलना में 1,02,374 करोड़ रुपए अथवा 5.9 प्रतिशत की वृद्धि है। राजस्व-पूंजी संतुलन में वर्ष के बजट अनुमान की तुलना में संशोधित अनुमान 2016-17 में काफी सुधार हुआ है। राजस्व व्यय को बजट के चरण में कुल व्यय का 87.5 प्रतिशत अनुमानित किया गया था, कम होकर संशोधित अनुमान 2016-17 में 86.1 प्रतिशत पर आ गया। आगे और सुधार प्रदर्शित करते हुए बजट अनुमान 2017-18 में कुल व्यय के राजस्व घटक कम होकर कुल व्यय के 85.6 प्रतिशत पर आ जाने का अनुमान है।

58. सरकार के राजस्व व्यय के प्रमुख घटकों में ब्याज अदायगियां, सब्सिडियां, वेतन और पेंशन, रक्षा राजस्व व्यय, केंद्रीय पुलिस संगठनों संबंधी व्यय और वित्त आयोग के अनुदानों के रूप में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को किए गए राजस्व अंतरण, केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं तथा अन्य अंतरण शामिल हैं। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अच्छे खासे हिस्से के रूप में केंद्रीय स्वायत्त निकायों को किए जाने वाले अंतरण भी राजस्व व्यय के रूप में होते हैं। इन पर निम्नलिखित पैराग्राफ में संक्षिप्त चर्चा की गई है।

(क) ब्याज अदायगी:

59. ब्याज अदायगी केंद्र के राजस्व व्यय का सबसे बड़ा घटक है। बजट अनुमान 2016-17 में, 4,92,670 करोड़ रुपए पर अनुमानित ब्याज अदायगी केंद्र की राजस्व प्राप्तियों का 35.8 प्रतिशत बैठती है। संशोधित अनुमान 2016-17 में, बाजार उधारों की ब्याज दरों में गिरावट के कारण राजस्व और प्राप्तियों में उछाल आने के परिणामस्वरूप इस अनुपात में अत्यधिक सुधार होने की संभावना है। ऐसा विमुद्रीकरण उपायों के फलस्वरूप बैंकों में बेशी नकदी निवेश के लिए बाजार स्थिरीकरण योजना के जरिए उपलब्ध कराई गई सुविधा और केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में बृहत्तर निवल एनएसएस निवेशों के चलते एक बड़े भुगतान की वजह से अचानक देनदारियों का निर्णय सरकार द्वारा लिए जाने के बावजूद हुआ है। संशोधित अनुमान 2016-17 में समग्र ब्याज व्यय गिरकर 4,83,069 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों में ब्याज अदायगी-निवल राजस्व प्राप्ति अनुपात सुधरकर 33.9 प्रतिशत होने का भी अनुमान है।

60. बजट अनुमान 2017-18 में कुछ ब्याज अदायगी 5,23,078 करोड़ रुपए अनुमानित है जो सरकार की राजस्व प्राप्तियों (निवल कर जमा कर-भिन्न राजस्व) का 34.5 प्रतिशत है। ये कारक केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में उच्चतर लागत वाली एनएसएसएफ प्राप्तियों (बाजार उधारों के घटक में समुचित कमी के साथ)के निवेश को पूरा करते हैं। राजकोषीय समेकन के पथ पर मजबूती से डटे रहने की सरकार की प्रतिबद्धता के साथ, राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में मध्यावधि में ब्याज व्यय में गिरावट आने की संभावना है। स.घ.उ. के 3 प्रतिशत के सतत राजकोषीय घाटा लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2018-19

और 2019-20 में ब्याज अदायगी राजस्व प्राप्तियां अनुपात केंद्र की राजस्व प्राप्तियों का क्रमिक रूप से क्रमशः 32 प्रतिशत से सुधरकर 30.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

(ख) प्रमुख सस्त्रिडियों

61. खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम पर प्रमुख सस्त्रिडियों संबंधी व्यय राजस्व व्यय का दूसरा महत्वपूर्ण कारक है। 2016-17 में प्रमुख सस्त्रिडियों संबंधी व्यय अनुमानतः बजट स्तर पर रहने का अनुमान है। इसमें बजट अनुमानों में 2,31,782 करोड़ रुपए से संशोधित अनुमानों में 2,32,705 करोड़ रुपए की मामूली वृद्धि हुई। बजट अनुमान 2017-18 में बड़ी सस्त्रिडियों हेतु प्रावधान 2,40,339 करोड़ रुपए बैठता है जो स.घ.उ. का 1.4 प्रतिशत अनुमानित है। चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों की तुलना में 7,634 करोड़ रुपए की निवल वृद्धि का कारण खाद्य सस्त्रिडियों हेतु 10,166 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी और पेट्रोलियम सस्त्रिडियों के लिए 2,532 करोड़ रुपए की कटौती है।

62. 1 जनवरी, 2015 से डीजल और पेट्रोल को पूरी तरह नियंत्रण मुक्त किए जाने से पेट्रोलियम से संबंधित सस्त्रिडी अब मुख्य रूप से मिट्टी के तेल और एलपीजी से संबंधित है। जबकि सरकार ने एलपीजी के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण व्यवस्था लागू की है, अब सुधारों का जोर मिट्टी के तेल की सस्त्रिडी पर निदेशित है। इसे समाप्त करने के लिए व्यय प्रबंधन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए जहां राज्यों को पीडीएस मिट्टी के तेल आवंटन को युक्तिसंगत बनाया गया है, वहीं मिट्टी के तेल के लिए डीबीटी कवरेज को बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इस दिशा में झारखंड ने 4 जिलों में 1 अप्रैल, 2016 से केरोसीन के लिए डीबीटी लागू कर दिया है और अन्य राज्यों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि इसका अनुकरण करें। कुछ राज्यों ने असल में अपने राज्यों को केरोसीन मुक्त करने के उपाय शुरू किए हैं। जबकि चंडीगढ़ ने 1 अप्रैल, 2016 से स्वयं को केरोसीन मुक्त घोषित कर दिया है, हरियाणा ने यह उपलब्धि 8 जिलों में प्राप्त कर ली है और इसने 31 मार्च, 2017 तक 'केरोसीनमुक्त' राज्य बनने का लक्ष्य रखा है। आगे चलकर पेट्रोलियम उत्पादों पर सस्त्रिडी में ह्रासकारी प्रवृत्ति दिखाई देने की संभावना है। इसे ध्यान में रखते हुए बजट अनुमान 2017-18 में पेट्रोलियम संबद्ध सस्त्रिडियों के लिए प्रावधान घटाकर 25,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

63. खाद्य सस्त्रिडी के बारे में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का कार्यान्वयन 1 नवम्बर, 2016 से सार्वभौमिक हो चुका है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2003 अब अंगीकृत कर लिया है और खाद्य सस्त्रिडी का विस्तार कवर लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों तक कर दिया गया है। खाद्य सस्त्रिडी हेतु प्रावधान 2016-17 के संशोधित अनुमान में 1,35,173 करोड़ रुपए की तुलना में 2017-18 के बजट अनुमान में 1,45,339 करोड़ रुपए रखा गया है। खाद्य सस्त्रिडी में सुधार शुरू किए गए हैं तथा 6 राज्यों ने अपनी सभी उचित दर दुकानों को स्वचालित कर दिया है। इसके अतिरिक्त, 1,77,746 उचित दर दुकानों को ई-पीओएस मशीनों से स्वचालित कर दिया गया है और 72 प्रतिशत राशन कार्डों को पहले ही आधार से जोड़ दिया गया है। इससे, हालांकि, न्यूनतम समर्थन मूल्य/निर्गम मूल्यों संबंधी निर्णयों पर निर्भर रहते हुए मध्यावधि में खाद्य सस्त्रिडियों में धीरे-धीरे कमी लाने की संभावना है।

64. उर्वरक सस्त्रिडी सुधारों में गुंजाइश बनाते हुए उर्वरक विभाग ने 16 जिलों में प्रायोगिक परियोजनाओं के जरिए संशोधित रूप में डीबीटी के क्रियान्वयन का कार्यक्रम बनाया है। यूरिया पर नीम की परत चढ़ाने का परिणाम 2016 में पहली बार खरीफ के मौसम में सामने आया जब प्रयुक्त समूचा यूरिया नीम की परत चढ़ा हुआ था। ऐसा अनुमान है कि इससे यूरिया की खपत में पिछले वर्ष की तुलना में 8.66 लाख मीट्रिक टन की कमी आएगी। यूरिया की खपत खरीफ मौसमों के बीच 2015-16 में 152.37 एलएमटी से गिरकर 2016-17 में 143.71 एलएमटी पर आ गई है। लगभग 12,000 रुपए/एमटी पर सस्त्रिडी में अकेले इस खाते में 1,000 करोड़ रुपए से अधिक बचत होने का अनुमान है। हालांकि, बजट अनुमान, 2017-18 में उर्वरक सस्त्रिडी हेतु प्रावधान संशोधित अनुमान 2016-17 के 70,000 करोड़ रुपए के स्तर पर रखा गया है।

65. यह संभावना है कि मध्यावधि में सक्रिय नीतिगत सुधारों के गति पकड़ने के चलते प्रमुख सस्त्रिडियों पर बजटीय व्यय गिरेगा। अनुमान की अवधि में प्रमुख सस्त्रिडियों पर सरकारी व्यय बजट अनुमान 2017-18 में स.घ.उ. के 1.4 प्रतिशत से गिरकर 2018-19 और 2019-20 में क्रमशः स.घ.उ. का 1.3 प्रतिशत और 1.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

(ग) रक्षा सेवाएं

66. रक्षा सेवाओं के राजस्व व्यय में मुख्यतया वेतन, स्टोर सहित अन्य स्थापना संबंधी मुद्दों पर व्यय, निर्माण कार्यों से जुड़ा रख-रखाव व्यय, परिवहन और अन्य विविध व्यय शामिल है। रक्षा सेवा राजस्व व्यय का संशोधित अनुमान 1,62,759 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में 1,68,635 करोड़ रुपए है। ब.अ. 2017-18 में यह 1,75,861 करोड़ रुपए अनुमानित है। यह वृद्धि वेतन के साथ-साथ अन्य प्रचालन राजस्व व्यय के प्रति अतिरिक्त आवंटन के कारण हुई है। रक्षा राजस्व व्यय में यह वृद्धि बजट अनुमान 2016-17 की अपेक्षा बजट अनुमान 2017-18 में 4.3 प्रतिशत है। रक्षा सेवाओं का राजस्व घटक पिछले वर्षों के अनुमानों की तुलना में 2018-19 और 2019-20 में क्रमशः 8 प्रतिशत और 11 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है।

(घ) वित्त आयोग के अनुदान

67. वित्त आयोग के अनुदान संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत सांविधिक प्रावधानों के तहत राज्य सरकारों को दिए जाते हैं। 14वें वित्त आयोग ने राजस्व घाटा अनुदान, राज्य आपदा अनुक्रिया निधि हेतु सहायता अनुदान और ग्रामीण तथा शहरी स्थानीय निकायों के लिए सहायता अनुदान के संबंध में इस संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत इन अनुदानों की सिफारिश की थी। बजट अनुमान 2017-18 में वित्त आयोग का अनुदान 1,03,101 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। वर्ष 2018-19 और 2019-20 में ये सांविधिक अनुदान 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार रहने का अनुमान है।

(ङ.) पेंशन

68. भारत सरकार की चार अनुदान मांगों नामतः रक्षा (पेंशन), असैनिक (पेंशन), दूरसंचार विभाग और डाक विभाग में पेंशन भुगतान में बढ़ोतरी की गई है। असैनिक (पेंशन) में सभी विभागों की जरूरतें पूरी करने की व्यवस्था है जबकि अन्य तीन मांगें विशेष मंत्रालयों/विभागों के संबंध में पेंशन व्यय की व्यवस्था करती हैं। पेंशन संबंधी व्यय मुख्यतः वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन के कारण बजट अनुमान

2016-17 में 1,23,368 करोड़ रुपए से बढ़कर संशोधित अनुमान 2016-17 में 1,28,166 करोड़ रुपए हो जाने का अनुमान है।

69. वर्ष 2017-18 के बजट अनुमान में पेंशन संबंधी कुल व्यय 1,31,201 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है जो इस वर्ष के अनुमानित स.घ.उ. का 0.8 प्रतिशत है। इसमें रक्षा पेंशन के लिए 85,740 करोड़ रुपए, असैनिक पेंशन के लिए 34,118 करोड़ रुपए और डाक तथा दूरसंचार पेंशन के लिए 9,940 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल है। पेंशन संबंधी कुल व्यय स.घ.उ. के अनुपात के रूप में मध्यावधिक संदर्भ में धीरे-धीरे घटकर 2019-20 तक स.घ.उ. का लगभग 0.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

II. पूंजीगत परिव्यय

70. 2015-16 (वास्तविक) में केंद्र का कुल पूंजी व्यय 2,53,022 करोड़ रुपए था। संशोधित अनुमान 2016-17 में केंद्र का पूंजीगत व्यय 2,79,847 करोड़ रुपए तक बढ़ गया है जिसमें 2015-16 (वास्तविक) की तुलना में 10.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और जो 2016-17 के संशोधित अनुमान में कुल अनुमानित व्यय का 13.9 प्रतिशत बैठता है। बजट अनुमान 2017-18 में पूंजी व्यय के लिए 3,09,801 करोड़ रुपए का प्रावधान है जो संशोधित अनुमान 2016-17 की तुलना में 10.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी है और वर्ष के कुल अनुमानित व्यय का 14.4 प्रतिशत बैठता है।

71. तथापि, पूंजीगत प्रवृत्ति के केंद्र सरकार के व्यय के व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए, केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा वाणिज्यिक विभाग की उपक्रमों द्वारा लगाए जाने वाले अनुमानित आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों की स्थिति की समीक्षा करना उपयोगी होगा। बजट अनुमान 2016-17 में केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का अनुमानित आईईबीआर 3,98,139 करोड़ रुपए था, जिसके अब इस वर्ष के संशोधित अनुमानों में 4,06,390 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। बजट अनुमान 2017-18 में कुल आईईबीआर 3,85,027 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है।

सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि

72. पिछले वर्ष से निरंतर बढ़ती हुए वृद्धि गति को अधिकांश वृहत आर्थिक कारकों के कारण अस्थायी आघात पहुंचा है। सीएसओ के अग्रिम अनुमानों के अनुसार वास्तविक वृद्धि 2015-16 में प्राप्त की गई 7.6 प्रतिशत की तुलना में 2016-17 में 7.1 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। सांकेतिक संदर्भ में, चालू वित्त वर्ष के संभावित संशोधित बजटीय अनुमान में स.घ.उ. वृद्धि के 11 प्रतिशत का अनुमान लगाया गया है जबकि सीएसओ अग्रिम अनुमान 11.9 प्रतिशत पर 90 आधार बिंदु अधिक हैं। वृद्धि दर में गिरावट के रूझान के कारण समायोजन किए गए हैं जिनके अधिक से अधिक चालू वित्त वर्ष की अंतिम दो तिमाहियों में समाप्त होने की संभावना है। चूंकि सीमित अवधि डाटा के कारण सीएसओ आंकड़े पूरी तरह से इनके घटक नहीं हो सके, क्योंकि अक्टूबर, 2016 तक वृद्धि संबंधी आंकड़ों को अग्रिम रूप से हिसाब में लिया जाना था, इसलिए सरकार ने अनुमानित सांकेतिक स.घ.उ. दर को मध्यम रखा है।

73. तथापि, स.घ.उ. वृद्धि के ऋणात्मक प्रभाव के चालू वित्त वर्ष से आगे जारी रहने की संभावना नहीं है और 2017-18 की पहली तिमाही से खपत मांग के वापस आने की संभावना है, इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था

के मध्यावधि वृद्धि संदर्भ में धनात्मक रहने की संभावना है। यह प्रमुख रूप से सुदृढ़ वृहत आर्थिक मूल सिद्धांतों के कारण है, जिनमें कम निर्भरता अनुपात सहित युवा आबादी के जनसांख्यिकी लाभांश, बेहतर बचतों और निवेश दरों, वैश्विक अर्थव्यवस्था में बढ़ते एकीकरण और अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में वृद्धि हेतु बड़ी संख्या में सक्रिय सरकारी पहलें शामिल हैं। इसलिए, अल्पावधिक आघात के बावजूद, भारत स.घ.उ. वृद्धि के संदर्भ में वैश्विक परिदृश्य में चमकता रहेगा।

74. स.घ.उ. वृद्धि के 2017-18 में पुनः बढ़ने और आगामी तीन वर्षों में मध्यम स्तर तक आने की संभावना है। हाल ही में वेतन एवं पेंशन बढ़ने के कारण खपत में वृद्धि होने और उच्चतर कृषि उत्पादन, सामान्य मानसून के लौटने के कारण 2017-18 में अधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। इसके अलावा, निजी निवेश के क्रमिक रूप से बढ़ने की संभावना है क्योंकि कुछ क्षेत्रों में आधिक्य क्षमताएं बढ़ने से अवसंरचनात्मक परियोजनाओं की परिपक्वता में कमी आएगी तथा कारपोरेट सेक्टर भी लाभ नहीं उठा पाएगा। अगले वित्त वर्ष की अवधि के दौरान वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन से लाभ भी एक अन्य महत्वपूर्ण कारक है, जिससे स.घ.उ. वृद्धि की दर में सुधार आने की संभावना है। सांकेतिक संदर्भ में, वृद्धि दर 2016-17 के संशोधित अनुमान में आकलित अनुमानित सांकेतिक स.घ.उ. की तुलना में बजट अनुमान 2017-18 में 11.75 प्रतिशत रहने का अनुमान है। सांकेतिक संदर्भ में मध्यावधिक स.घ.उ. वृद्धि के 2018-19 तथा 2019-20 दोनों में 12 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

ख. निम्नलिखित से संबंधित पोषणीयता का आकलन

(i) राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के बीच संतुलन का आकलन

75. केंद्र की कुल राजस्व प्राप्ति की 2016-17 के संशोधित अनुमानों में 14,23,563 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है जो बजटीय अनुमानों की तुलना में 46,541 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्शाता है। केंद्र की निवल कर प्राप्तियों में बढ़ोतरी के जरिए निवल बढ़ोतरी 34,692 करोड़ रुपए तथा कर-भिन्न राजस्व में 11,849 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्ज की गई है। संशोधित अनुमानों में 2016-17 के बजटीय अनुमानों की तुलना में 3,523 करोड़ रुपए की मामूली बढ़ोतरी होने से राजस्व व्यय 17,34,560 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। परिणामस्वरूप स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटे में बजट अनुमान 2016-17 के 2.3 प्रतिशत से गिरकर संशोधित अनुमान 2016-17 में 2.1 प्रतिशत पर आने का अनुमान है।

76. बजट अनुमान 2017-18 में राजस्व घाटा स.घ.उ. का 1.9 प्रतिशत अनुमानित है। यह स्थिति बजट अनुमान 2016-17 की तुलना में स.घ.उ. के 2.3 प्रतिशत के उल्लेखनीय सुधार को दर्शाती है। परिणामस्वरूप स.घ.उ. के 2 प्रतिशत के राजस्व घाटे के निर्धारित लक्ष्य को, संशोधित सीमा निर्धारित करते हुए 2012-13 में एफआरबीएम अधिनियम में संशोधन के बाद पहली बार प्राप्त किए जाने का अनुमान है। मध्यावधि में वेतन आयोग प्रभाव के क्रमिक रूप से कम होने के चलते राजस्व घाटा 2018-19 में स.घ.उ. का 1.6 प्रतिशत तक रहने का अनुमान है और 2019-20 में भी समान स्तर पर स.घ.उ. का 1.4 प्रतिशत बने रहने का अनुमान है।

77. प्रभावी राजस्व घाटा (ईआरडी) जो राजस्व घाटा और पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदानों के बीच का अंतर है, बजट

अनुमान 2016-17 में स.घ.उ. के अनुमानित 1.2 प्रतिशत से कम होकर इस वर्ष के संशोधित अनुमान में स.घ.उ. का 0.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है। ईआरडी में आगे और गिरावट होकर यह बजट अनुमान 2017-18 में स.घ.उ. के 0.7 प्रतिशत पर आने का अनुमान है। फिर भी, यह 2017-18 तक ईआरडी समाप्त करने के एफआरबीएम द्वारा अधिदेशित लक्ष्य से विचलन होगा। इस फिसलन का औचित्य है क्योंकि सरकार ने राजस्व/पूंजी के रूप में बजट प्रस्तुत करने के लिए किए गए बड़े सुधारों को देखते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए सचेत रूप से निर्णय लिया कि राजस्व स्वरूप के महत्वपूर्ण विकासात्मक और अनुसंधान व्यय के साथ समझौता नहीं किया जा सके।

78. तथापि, मध्यावधिक संदर्भ में, ईआरडी गिरकर 2018-19 में स.घ.उ. के 0.4 प्रतिशत के स्तर पर आने का अनुमान है। यह आगे और कम होकर 2019-20 में स.घ.उ. का 0.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है। यह भी उल्लेखनीय है कि 14वें वित्त आयोग ने जहां राजस्व घाटे पर ही फोकस करने के लिए इस स्वदेशी राजकोषीय बेंचमार्क को समाप्त करने की सिफारिश की है, वहीं सरकार द्वारा एफआरबीएम समीक्षा

समिति की सिफारिशों पर कार्रवाई करते समय इस मुद्दे पर निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है।

(ii) उत्पादक परिसंपत्तियों का सृजन करने के लिए बाजार उधारों सहित पूंजी प्राप्तियों का प्रयोग

79. राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटे का अनुपात सरकार के चालू व्यय को वित्तपोषित करने के लिए प्रयुक्त उधारों की सीमा का व्यापक मापन करता है। बजट अनुमान 2017-18 में राजस्व और राजकोषीय घाटे का अनुपात गिरावट की प्रवृत्ति के बावजूद इस निरंतर असंतुलन को प्रदर्शित करता है। आंकड़े दर्शाते हैं कि यह अनुपात जो 2009-10 में 81 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गया था, कम होकर बजट अनुमान 2017-18 में 58.8 प्रतिशत के स्तर पर आ गया। कई वर्षों में स्पष्ट हुए राजस्व घाटे के उच्च स्तर मुख्यतः संरचनात्मक कारणों से हैं जिससे परिसंपत्तियों के सृजन के लिए केंद्र के व्यय आवंटन की बजट व्यवस्था मुख्यतः राज्यों में क्रियान्वयन हेतु अथवा राजस्व अनुदानों के रूप में अंतरित निधियों के साथ क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा की जाती है।